

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, चाखा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

ज्ञान सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 39/2022

निर्णय दिनांक :- 23.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता
78 के खाता संख्या 56/10 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 4.048 हेक्टेयर नहरी भूमि में किरा
नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक के उत्तर दिशा में 2-2 बिस्वा गैरमुर्माकिन खाल दर्ज किये जाने के आदेश दिए
जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे।

आज दिनांक 23.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 39/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कल्याणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	01	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 39/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/ 2022/150

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं. 39/2022 (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री कल्याणपुर